

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग,
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

पत्रांक- टी 2/एम0ई0एस0- 14/2013 — 1320 पटना, दिनांक- 29.6.15

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
सभी संबंधित संस्थान/प्रतिष्ठान ।

विषय :- केन्द्र प्रायोजित एस0 डी0 आई0 योजनान्तर्गत एम0 ई0 एस0 के तहत भी0 टी0 पी0 स्थायी पंजीकरण करने के संबंध में ।

प्रसंग:- आई0टी0/विविध-01/2013- 1701 दिनांक-23-06-2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि निम्नांकित संस्थानों/प्रतिष्ठानों को भी0टी0पी0 हेतु उपयुक्त पाया गया जो नम्नवत हैं :-

क्र0 सं0	संस्थान का नाम एवं पता	स्थाई भी0 टी0 पी0 नम्बर	अनुशंसित कोर्स कोड	ई-मेल/ दूरभाष संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सेन्टर फॉर नीडी पीपुल, ग्राम-दुल्लहपुर,(नियाजीपुर) पो0- नियाजीपुर, थाना-सिमरी, बक्सर-802131	410300011	ICT-701,702. GAR-516. SS-102	Centreforneedyeeo ple@gmail.com 09576219331	
2	गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच, बोधाचक रोड,नहरपर, परसा बाजार,पटना।	410280091	GAR-516. SS-102. AGR-135	pratimaggmvm @gmail.com 9939358221	
3	सर्वहितम एजुकेशनल एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाईटी, शांति पैलेश, आजाद मार्केट, कोशी कालेज मोड, खगड़िया-851204.	410210003	SS-101, 102.	Sarvhitam. educationl@ gmail.com 9234260295	
4	सर्वहितम एजुकेशन एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाईटी. शीव चौक, नया टोला नौवगछिया, नियर नौवगछिया, रेलवे स्टेशन,नौगछिया- 853204	410220008	SS-101.	Sarvhitam. educationl@ gmail.com 9234260295	
5	सर्वहितम एजुकेशन एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाईटी, कॉलेज रोड, नियर सोना टॉकिज, बरौनी.- 851112	410200007	SS-101,102 . BAN-101,202.	Sarvhitam. educationl@ gmail.com 9234260295	
6	लोक प्रगति सेवा संस्थान, जागीर महेशखुँट, भाया-हलधरा हाट, अररिया	410070003	GAR-501. BAN-101. ICT-701,702.	lps.sansthan2006 @gmail.com 9973332129	
7	अनन्त सामाजिक संस्थान, परसा गढ़, एकमा, सारण, बिहार-841220	410170019	ICT-701, SS-102, BAN-101	anantvtp@gmail.c om 9955759294	

8	गौतम बुद्ध भोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर जम्होर, औरंगाबाद, बिहार-824121	410340013	ICT-701. SS-102, BAN-101.	csevs@rediffmail.c om 9939016312	
9	गौतम बुद्ध, महिला सेवा संस्थान, औरंगाबाद।	410340012	AGR-132-	dhananjaybaidya @gmail.com 9934066088	
10	हायूमैन सर्विस सेन्टर, रेणुकाश्रम, राजीव नगर, पटना-800024	410280123	ICT-701. BAN101. SS-102.	humanservicecent re@gmail.com 9934004571	
11	श्री विनायका एडुकेयर सर्विसेज एण्ड कंसल्टेंसी प्रा० लि०, दिशा कमप्लेक्स, पटना विश्वविद्यालय के सामने आशोक राजपथ, पटना- 800004	410280124	RET-101,202,103,	vikasvikal@gmail .com 9308473836	

उपर्युक्त वर्णित कुल-11 संस्थानों को स्किल डभलपमेन्ट इनिसिएटिव (एस० डी० आई०) योजनान्तर्गत मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्किल (एम०ई०एस०) के तहत भी० टी० पी० घोषित करते हुए कॉलम-04 में वर्णित मॉड्यूल में संबंधित संस्थानों को प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्किल के नये मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार **Training Batch No (TBN)**

generate करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देना अनिवार्य होगा :-

1. Bio-Metric System Install करने के उपरान्त मशीन का IMEI, Serial No साक्ष्य के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. एक मॉड्यूल में दो बैच तथा विभिन्न मॉड्यूल में कुल 06 बैच एक साथ प्रशिक्षण चलाने हेतु प्रत्येक संस्थान/प्रतिष्ठान को अनुमति दी जाती है।
3. किसी भी बैच में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम से कम 10 का होना अनिवार्य है।
4. इस योजना के तहत सभी भी० टी० पी० को राज्य के आरक्षण नियमावली का पालन नियमानुसार करना अनिवार्य होगा।
5. 30% महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देना अनिवार्य है।
6. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत एवं अनुदेशकों की उपस्थिति 90 प्रतिशत अनिवार्य है।
7. इस योजना के तहत सभी भी० टी० पी० को एक दिन में कम से कम 3 घंटा तथा अधिकतम 6 घंटा एक मॉड्यूल में प्रशिक्षण देना है साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश लागू करना अनिवार्य है।
8. प्रत्येक बैच के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का 80 प्रतिशत प्लेसमेन्ट से संबंधित डाटा पोर्टल पर अंकित करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
9. इस योजना के तहत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का बैचवार प्लेसमेन्ट, वेतन/ आय पोर्टल पर कम से कम 80 प्रतिशत अंकित करना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा संबंधित डाटा पोर्टल पर 6 (छः) महीनों में तीन से अधिक बैच का अंकित नहीं किए जाने पर अगला TBN का अनुशंसा नहीं किया जाएगा।
10. इस योजना के तहत स्थायी पंजीकृत भी० टी० पी० यदि तीन माह के अन्दर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्य आरंभ नहीं करता है अथवा दो बैच की अवधि छः माह से ज्यादा होने की स्थिति में उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।

11. वैसे modules जिनका प्रशिक्षण अवधि 300 घंटा या उससे अधिक है, उस मॉड्यूल में ट्रेनिंग देने के पूर्व Soft and Entrepreneurship skill module में ट्रेनिंग देना अनिवार्य है साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित साक्ष्य निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
12. इस योजना के तहत यदि एक भी 0 टी 0 पी 0 एक प्रशिक्षणार्थी का नाम एक से ज्यादा बैच में एक ही समय अंकित करता है तो वैसी स्थिति में उक्त भी 0 टी 0 पी 0 पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा ।
13. ट्रेनिंग कैलेण्डर बनाने एवं प्रशिक्षण प्रारंभ करने के बीच कम से कम एक सप्ताह का समय सुनिश्चित करें ताकि ट्रेनिंग कैलेण्डर का अनुमोदन प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व किया जा सके ।
14. प्रशिक्षण समाप्ति के सात दिनों के अन्दर Assessment कराना अनिवार्य होगा, यदि कोई भी 0 टी 0 पी 0 संस्था पाँच बैचों में से तीन बैचों में इसका पालन नहीं नहीं किया तो वैसे भी 0 टी 0 पी 0 संस्था के संबंधित module की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी ।
15. प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन हेतु नामित Assessor का मूल्यांकन की तिथि की सूचना प्राप्त होने पर Vocational Training Provider (VTP) द्वारा निदेशालय के साथ-साथ जिला नियोजन पदाधिकारी को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। Assessment के समय जिला नियोजन पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-टी 2/एम0ई0एस0-14/2013 (Part file)- 1320 पटना, दिनांक- 29.6.2015.

प्रतिलिपि- सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना